Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 7 ~ Issue 1 (2019) pp: 81-83
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

डॉ. भीमराव अम्बेडकर, दलितों के मसीहा

डॉ जितेंद्र कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग एस. एम. कॉलेज चंदौसी

परिचय

देश में मनुवादी व्यवस्था के रूप में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजित था। शूद्रों में निम्न व गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत की संज्ञा दी गई और उन्हें नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया गया। उन्हें छुना भी पाप समझा गया। अछूतों को तालाबों, कुंओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि सभी जगहों पर जाने से एकदम वंचित कर दिया गया। निम्न जाति के लोगों से बेगार करवाई जाती, मैला ढुलवाया जाता, गन्दगी उठवाई जाती, मल–मूत्र साफ करवाया जाता, झूठे बर्तन साफ करवाए जाते और उन्हें दूर से ही नाक पर कपड़ा रखकर अपनी जूठन खाने के लिए दी जाती व बांस की लंबी नलिकाओं से पानी पिलाया जाता। खांसने व थूकने के लिए उनके मुंह पर मिट्टी की छोटी कुल्हड़ियां बांधने के लिए विवश किया जाता। जिस स्थान पर कथित अछूत बैठा करते थे उसे बाद में पानी से कई बार धुलवाया जाता। इन परिस्थितियों के बीच दलित समाज के पूर्वजों को गुजरना पड़ा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर– एक मसीहा

दलितो के मसीहा डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्यप्रदेश में इंदौर के निकट महू में एक महार परिवार में हुआ। आपका पैतृक गाँव रत्नागिरी जिले की मंडणगढ़ तहसील के अंतर्गत आम्ब्रावेडे था। उनके पिता रामजी राव व दादा का मालोजी सकपाल था। आप अपने पिता की चौदह संतानों में सबसे छोटे पुत्र थे। समाज जाति–पाति, ऊँच–नीच और छूत–अछूत जैसी भयंकर कुरीतियों के चक्रव्युह में फंसा हुआ था, जिसके चलते महार जाति को अछूत समझा जाता था और उनसे घृणा की जाती थी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ 'भीमा' था। उनके पिता जी फौज में नौकरी करते थे और कबीर पंथ के अनुयायी थे। उनकीं माता श्रीमती भीमाबाई भी धार्मिक प्रवृति की घरेलू महिला थीं। 20 नवम्बर, 1896 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही माता का साया उनके सिर से उठ गया। इसके बाद उनकी बुआ मीरा ने आपकी तथा अन्य बहन–भाईयों की देखभाल की। भीमराव ने प्रारंभिक शिक्षा सतारा की प्राथमिक पाठशाला में हासिल की। 7 नवम्बर, 1900 को उनका दाखिला सतारा के गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर हाईस्कूल में करवाया गया। वे बचपन से ही अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि के थे और हर परीक्षा में अव्वल स्थान पर रहते थे, इसके बावजूद सामाजिक कुरीतियों के चलते उन्हें अछूत के नाम पर प्रतिदिन अनेक असहनीय अपमानों और यातनाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन, बालक भीमराव एकदम विपरीत सामाजिक परिस्थितियों के बीच अनवरत् रूप से अपने शिक्षा–अर्जन के कार्य में लगे रहे और हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकीं अनूठी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक चहेते व सामाजिक संकीर्णताओं से मुक्त ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें 'अम्बेडकर' उपनाम दिया, जोकि आगे चलकर उनके मूल नाम का अभिन्न हिस्सा बन गया। वर्ष 1908 में वे मात्र 17 वर्ष की आयु में रमाबाई के साथ विवाह–सूत्र में बंध गए। विवाह बंधन में बंधने के बावजूद उन्होंने मुंबई के एलफिंस्टन कॉलेज से एफ.ए. अर्थात् इंटरमीडिएट और बड़ौदा के महाराजा द्वारा प्रदत्त 25 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति से वर्ष 1912 में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 फरवरी, 1913 को पिता के देहान्त के बाद भीमराव अम्बेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के लिए नौकरी करने को विवश होना पड़ा। लेकिन, थोड़े समय बाद ही उन्हें बड़ौदा के महाराजा की कृपा पुनः प्राप्त हुई और उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाने का सौभाग्य मिला। वे एस.एस. अकोना जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए और 23 जुलाई, 1913 को न्यूयार्क जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उन्होंने वर्ष 1915 में एम.ए. की डिग्री और 10 जून, 1916 को अर्थशास्त्र विषय में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. उपाधि पूरी की। इसी वर्ष वास्तव में डॉ. भीमराव अम्बेडकर बने। उन्होंने वर्ष 1916 में प्रख्यात 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिकल एण्ड पॉलीटिकल साइंस' में दाखिला ले लिया। अचानक छात्रवृति रोक दिए जाने से उन्हें पढ़ाई के बीच में ही 21 अगस्त, 1917 को स्वदेश लौटना पड़ा। भारत लौटकर उन्होंने हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार महाराजा बड़ौदा की सेना में सैन्य सचिव के पद पर नौकरी करनी पड़ी। इस सम्मानजनक पद पर रहने के बावजूद उन्हें अछूत के रूप में निरन्तर अपमान और तिरस्कार के दंश को झेलना पड़ा। अंततः उन्होंने इस पद को छोड़ दिया। इसके बाद वे एक निजी ट्यूटर व लेखाकार के रूप में काम करने लगे। नवम्बर, 1918 में बंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकोनोमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। इसी दौरान वर्ष 1920 में ही सौभाग्यवश उन्हें महाराजा कोल्हापुर द्वारा छात्रवृति

हासिल हो गई और उन्होंने 5 जुलाई, 1920 को प्रोफेसर के पद को छोड़ दिया और पुनः 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिकल एण्ड पॉलीटिकल साइंस' में अपनी अधूरी पढ़ाई पूर्ण करने मे लिए लंदन जा पहुंचे। जनवरी, 1923 में उन्हें डी.एस.सी. अर्थात् डॉक्टर ऑफ साईंस की उपाधि प्रदान की गई। लंदन के 'गेज इन' से उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे 3 अप्रैल, 1923 में डॉक्टर ऑफ साईंस, पी.एच.डी. और बार एट लॉ जैसी कई बड़ी उपाधियों के साथ स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटकर उन्होंने मुंबई में वकालत के साथ–साथ अछूतों पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। अपने आन्दोलन को अचूक, कारगर व व्यापक बनाने के लिए आपने 'मूक नायक' पत्रिका भी प्रकाशित करनी शुरू की। वर्ष 1927 में आपके नेतृत्व में दस हजार से अधिक लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला और ऊँची जाति के लिए आरक्षित 'चोबेदार तालाब' के पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की। इसी वर्ष उन्होंने 'बहिष्कृत भारत' नामक एक पाक्षिक मराठी पत्रिका का प्रकाशन करके अछूतों में स्वाभिमान और जागरूकता का अद्‌भूत संचार किया।

देखते ही देखते वे दलितों व अछूतों के बड़े पैरवीकार व मसीहा के रूप में देखे जाने लगे। इसी के परिणास्वरूप डॉ. भीमराव अम्बेडकर को वर्ष 1927 में मुंबई विधान परिषद् का सदस्य मनोनीत किया गया। इसी तरह उन्हें पुनः 1932 में भी परिषद् का मनोनीत सदस्य चुना गया। विधान परिषद् में उन्होंने दलित समाज की वास्तविक स्थिति को न केवल उजागर किया, बल्कि शोषित समाज की आवाज को बुलन्द किया। वर्ष 1929 में उन्होंने 'समता समाज संघ' की स्थापना की। अगले वर्ष 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मन्दिर में अछूतों के प्रवेश की पाबन्दी को हटाने के लिए जबरदस्त सत्याग्रह किया। इसके साथ ही दिसम्बर, 1930 में 'जनता' नाम से तीसरा पत्र निकालना शुरू किया। वर्ष 1931 में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विरोध के बावजूद दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस में दलितों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करके देशभर में हलचल मचा दी। महात्मा गांधी जी के अनशन के बाद डॉ. अम्बेडकर व कांग्रेस के बीच 24 सितम्बर, 1932 को 'पूना पैक्ट' के नाम से एक समझौता हुआ और डॉ. अम्बेडकर को भारी मन से कई तरह के दबावों के चलते दलितों के लिए अलग निर्वाचन की माँग वापस लेना पड़ा लेकिन, इसके जवाब में उन्होंने वर्ष 1936 में 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' की स्थापना करके अपने घोषणा पत्र में अछूतों के उत्थान का स्पष्ट एजेण्डा घोषित कर दिया। अब शोषित समाज डॉ. अम्बेडकर को अपने मसीहा के रूप में देखने लग गया था। इसी के परिणास्वरूप वर्ष 1937 के आम चुनावों में डॉ. अम्बेडकर को भारी बहुमत से अभूतपूर्व विजय हासिल हुई और कुल 17 सुरक्षित सीटों में से 15 सीटें नवनिर्मित 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' के खाते में दर्ज हुईं। वे 12 वर्ष तक बम्बई में विधायक रहे। इसी दौरान आपको बम्बई कौंसिल से 'साईमन कमीशन' के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने लंदन में हुई तीन गोलमेज सम्मेलनों में भारत के दलितों का शानदार प्रतिनिधित्व करते हुए कई बड़ी उपलब्धियां दिलवाईं। वर्ष 1942 में उन्हें गर्वनर जनरल की काऊंसिल का सदस्य चुन लिया गया। उन्होंने शोषित समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से 20 जुलाई, 1946 को 'पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी' नाम की शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसी सोसायटी के तत्वाधान में सबसे पहले बम्बई में सिद्धार्थ कालेज शुरू किया गया और बाद में उसका विस्तार करते हुए कई कॉलेजों का समूह बनाया गया। ये कॉलेज समूह आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश को लंबे समय के बाद स्वतंत्रता नसीब हुई। 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अपने अनुभव व दलितों की परिस्थितियों के चलते ही आपने संविधान में यह प्रावधान रखा कि, 'किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत के कारण समाज में असमानता उत्पन्न करना दंडनीय अपराध होगा'। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली लागू करवाने में भी सफलता हासिल की। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर बराबर बल दिया। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस संविधान के पूरा होने पर डॉ. अम्बेडकर के आत्मिक उदगार थे कि, ''मैं महसूस करता हूँ कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला अधम था।'' वर्ष 1949 में उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधिमंत्री बनाया गया। वर्ष 1950 में डॉ. अम्बेडकर श्रीलंका के 'बौद्ध सम्मेलन' में भाग लेने गए। आप बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों से अत्याधिक प्रभावित हुए।

अत्यन्त कठिन व अडिग संघर्षों के उपरांत, उनके मन में यह मलाल विष का रूप धारण कर चुका था कि वे शोषित समाज के उत्थान व समृद्धि के लिए जो अपेक्षाएं भारत सरकार से करते थे, उन पर भारत सरकार खरा नहीं उतरीं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में वे पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। इससे बढ़कर, देश में कानून बनने के बावजूद दलितों व शोषितों की दयनीय स्थिति देखकर उन्हें बेहद कुंठा व वेदना का गहरा अहसास हुआ। देश व समाज में दलितों, शोषितों व अछूतों को अन्य जातियों के समकक्ष लाने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने गहन अध्ययन और मंथन किया तदउपरांत उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र बौद्ध धर्म ही ऐसा है, जो दलितों को न केवल सबके बराबर ला सकता है, बल्कि अछूत के अभिशाप से भी हमेशा–हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। इसी निष्कर्ष को अमलीजामा पहनाने के लिए उन्होंने 1955 में 'भारतीय बौद्ध महासभा' की स्थापना की और 14 अक्तूबर, 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। उनका मानना था कि अछूतों के उत्थान और पूर्ण सम्मान के लिए यही एकमात्र अच्छा रास्ता है। इस अवसर पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी निर्धारित कीं, ये प्रतिज्ञाएं हिन्दू समाज की कुरीतियों व आडम्बरों पर गहरा आघात करने वाली हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़े युग दृष्टा थे। उन्होंने अछूतों व दलितों की मुक्ति के अभिशाप की थाह और उससे मुक्ति की राह स्पष्ट रूप से देख ली थी

*Corresponding Author: डॉ जितेंद्र कुमार

इसीलिए उन्होंने आजीवन गरीबों, अछूतों, दलितों, पिछड़ों और समाज के शोषित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि हर क्षेत्र में समानता का अधिकार दिलाने के लिए एक समाजसेवक के रूप में संघर्ष किए और अनंत कष्ट झेले। उन्होंने समाजसेवक, शिक्षक, कानूनविद्, पदाधिकारी, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, विचारक, दार्शनिक, वक्ता आदि अनेक रूपों में देश व समाज की अत्यन्त उत्कृष्ट व अनुकरणीय सेवा की व अपनी अनूठी अविस्मरणीय छाप छोड़ी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पुस्तकों और ग्रन्थों की रचनाएं कीं। जिनमें 'कास्ट्स इन इण्डिया', 'स्मॉल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रेमिडीज', 'दि प्राबल्म ऑफ दि रूपी', 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट', 'मिस्टर गांधी एण्ड दि एमेन्सीपेशन ऑफ दि अनटचेबिल्स', 'रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना', 'थॉट्स आन पाकिस्तान', 'वाह्ट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टु दि अनटचेबिल्स', 'हू वेयर दि शूद्राज', 'स्टेट्स एण्ड माइनारिटीज', 'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन करेन्सी एण्ड बैंकिंग', 'दि अनटचेबिल्स', 'महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट', 'थाट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स' आदि शामिल थीं।

कई महत्पूर्ण पुस्तकें उनके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो पाईं। इन पुस्तकों में 'लेबर एण्ड पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी', 'कम्युनल डेडलॉक एण्ड ए वे टु साल्व इट', 'बुद्ध एण्ड दि फूचर ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी', 'एसेशियल कन्डीशंस प्रीसीडेंट फॉर दि सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी', 'लिंग्विस्टिक स्टेट्सरू नीड्स फॉर चेक्स एण्ड बैलेन्सज', 'माई पर्सनल फिलॉसफी', 'बुद्धिज्म एण्ड कम्युनिज्म', 'दि बुद्ध एण्ड हिज धम्म' आदि शामिल हैं। युगदृष्टा व दलितों और पिछड़ों के इस मसीहा ने देश में नासूर बन चुकी छूत–अछूत, जाति–पाति, ऊँच–नीच आदि कुरीतियों के उन्मुलन के लिए अंतिम सांस तक निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने 6 दिसम्बर, 1956 को अपने अनंत संघर्ष की बागडोर नए युग के कर्णधारों के हाथों सौंप, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए।

निष्कर्ष

भारत में सामाजिक, जातिगत और आर्थिक विषमता इतनी अधिक गहरी है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर होते हुए खुश होते हों। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दलितों की बेहतरी के लिए जो योजनाएं लागू की जाती हैं, वे अधिकांशतः भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। इसलिए सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए जारी धन इतनी देर में और इतने कम तादाद में पहुंच पाता है कि उससे उनकी बेहतरी की आशा नहीं की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मनरेगा को ही ले लें। सरकार द्वारा गांव के बेरोजगारों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना के लिए आवंटित धन अधिकांश जिलों में जरूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है और इस्तेमाल के पहले ही भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय समिति के सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार दलितों के मैला ढोने के कार्य को समाप्त करने की तमाम घोषणाओं के बावजूद भी बड़ी तादाद में शहरों और कस्बों की दलित महिलाएं इस अमानवीय–प्रथा से मजबूरीवश लगी हुई हैं। जबकि केंद्र और राज्य सरकारें इस कुप्रथा को जड़ से ही खत्म करने के दावे करतीं रहीं हैं, वर्तमान परिस्थिति में इन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जाहिर है जब तक राज्य और केंद्र सरकार इनके रोजगार और आय के दूसरे साधनों की मुकम्मल व्यवस्था नहीं करते, इस घृणित–प्रथा से उन्हें छुटकारा दिला पाना मुश्किल का काम है। गांवों में दलित खेतीहर मजदूर के रूप में आज भी शोषिण हो रहे है। इसके अतिरिक्त लाखों की संख्या में बंधुआ मजदूर के रूप में दलित समाज शोषण का शिकार हो रहा है।

वास्तविकता यह है कि अभी भी दलित समाज, भारतीय समाज के दूसरे तबकों से कई मायने में बहुत पीछे है, किन्तु इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आजादी के बाद दलित समाज को जो सरकारी, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार हासिल हुए वे हजारों वर्षों में पहली बार हासिल हुए। इसलिए दलित संगठनों को अपनी आक्रमकता के वक्त इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि दलित उत्थान और उनकी बेहतर स्थिति जो अब है, वह भारत के इतिहास में कभी भी नहीं थी। गांवों में जहां उन्हें कुएं का पानी भरना दूर, कुएं पर चढ़ने की भी मनाही थी, वहां पर अब वह निडर होकर(कुछ अपवादों को छोड़ दे) पानी भरता है। जहां पर वह शादी–ब्याह में शान–शौकत नहीं दिखा सकता था, अब वह अपनी मर्जी से खूब धूमधाम से विवाह संपन्न कराता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों की अत्यंत खराब स्थिति के कारण ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

– लिमये मधु, 2002 बाबासाहेब आंबेडकर–एक चिंतन, आत्मराम एण्ड संस दिल्ली।
– सिंह मोहन, 2008 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : व्यक्तित्व वेफ वुफछ पहलू, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद।
– सिंह रघुवीर, 2000 डॉ. अम्बेडकर और दलित चेतना, कामना प्रकाशन दिल्ली।
– डॉ. जोशी, गोपा, 2006, भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्या. निदे., दिल्ली वि.वि., नई दिल्ली
– डॉ. आंबेडकर, बी.आर., डॉ. अज्ञात, सुरेन्द्र (अनु.), 2012, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
– डॉ. सुमन, मंजू, 2013, दलित महिलाएं, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
– प्रो. शुक्ला, आशा – त्रिपाठी, कुसुम, 2014, स्त्री संघर्ष के मुद्दे भारतीय एवं पाश्चात्य संदर्भ, बरकतुल्ला वि.वि.,भोपाल महिला अध्यन विभाग, भोपाल
– डॉ. मित्तल, सतीश चन्द्र, 2012, भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास (1758ई. –1947 ई.), हरियाणा ग्रंथ अकादमी, पंचकुला